भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2875

(जिसका उत्तर गुरुवार, 14 मार्च, 2013/23 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

<u>बोर्ड सदस्य को कारावास</u>

2875. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

श्री अंजनकुमार एम. यादव :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किसी कंपनी के किसी बोर्ड सदस्य को कोई कारावास दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री सचिन पायलट)

(क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान विभिन्न न्यायालयों द्वारा 14 कंपनियों के विरूद्ध निदेशकों के कारावास का आदेश दिया गया।

(ग) : कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अर्थदंड अथवा कारावास अथवा दोनों हो सकता है। किसी आरोपी को कारावास/दोषमुक्त करने का अधिकार न्यायालय को है।

*****